न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –34/2012 जिला दौसा

घनश्याम पुत्र बन्सीधर, जाति ब्राह्मण, निवासी गीजगढ, तहसील सिकराय, जिला दौसा, हाल निवासी प्लाट नं. 101 शिव कॉलोनी, किसान मार्ग, टोंक फाटक, जयपुर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र अनन्त राम, जाति ब्राह्मण, निवासी ढाणी सदरोहण गीजगढ, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
2. अनन्त राम पुत्र बन्सीधर, जाति ब्राह्मण, निवासी ढाणी सदरोहण, गीजगढ, तमहसील सिकराय, जिला दौसा ।
3. यशोदा पुत्री बन्सीधर पत्नि श्री नाथू लाल उपाध्याय, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्रम उदयपुरा पोस्ट मेहन्दीपुर बालाजी, तहसील सिकराय, जिला दौसा
4 चन्द्रकला पुत्री बन्सीधर पत्नि श्री भवानीशंकर शर्मा , जाति ब्राह्मण, निवासी ढाणी दीक्षित गीजगढ, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
5. पटवारी हल्का ग्रम गीजगढ, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
6. ग्रम पंचायत गीजगढ, तहसील सिकराय, जिला दौसा जरिये सरपंच ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.5.2012

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री पवन कुमार पारीक
2. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 अनन्त राम

निर्णय

दिनांक 17.10.2017

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 21.5.2012 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम गीजगढ, तहसील सिकराय, जिला दौसा स्थित आराजी का खातेदार रेवडराम पुत्र पन्ना लाल हिस्सा 1/2 था जिसके लॉऔलाद फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 2760 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.1.2011 को मृतक रेवडराम के भाई बंशीधर के पुत्र अनन्तराम, घनश्याम, व पुत्रियॉ चन्द्रकान्ता , यशोदा के नाम भरा जाकर तस्दीक हेतु पेश किया गया, लेकिन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 अशोक कुमार पुत्र अनन्त राम पौत्र बंशीधर द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिकराय को दिनांक 1.2.2011 प्रस्तुत किया कि उसके नाम वसियतनामा दिनांक 12.2.2009 को मृतक रेवडमल जी ने सम्पादित किया था जिसके आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने हेतु दिनांक 10.11.2010 को प्रशासन गॉवों के संग अभियान में आवेदन पत्र मय दस्तावेज वसियतनामा एवं मृत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन पटवारी हल्का ने नामांतरकरण बिना किसी आधार के दर्ज कर दिया । यदि यह नामांतरकरण दर्ज किया गया तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी । अतः जब तक उसके प्रार्थना पत्र पर निर्णय/जॉच पूर्ण नहीं होने तक नामांतरकरण तस्दीक किये जाने पर रोक लगाई जावे । तहसीलदार सिकराय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर पत्र कमांकः भू.अ./2011 / 359 दिनांक 2.2.2011 पटवारी हल्का गीजगढ को लिखा गया कि नामांतरकरण संख्या 2760 के संदर्भ में जॉच विचाराधीन से जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक यानि की अग्रिम आदेशों तक उक्त नामांतरकरण का निस्तारण नहीं करवाया जावे । पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के उक्त आदेश का अंकन नामांतरकरण पर दिनांक 2.2.2011 को अंकित कर दिया गया । तहसीलदार सिकराय के उक्त आदेश दिनांक 2.2.2011 के खिलाफ मृतक के भाई बंशी के पुत्र घनश्याम द्वारा न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील दिनांक 18.3.2011 को पेश की गई जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 अशोक कुमार ने प्रार्थना पत्र आपत्ति दिनांक 16.9.2011 को पेश की कि अपीलान्ट घनश्याम ने जिस तहसीलदार के आदेश दिनांक 2.2.11 के खिलाफ अपील पेश की है वह आदेश इन्टरिम आदेश है और कानूनन इन्टरिम आदेश की अपील चलने योग्य नहीं होती है । अपीलान्ट ने एक दावा जिला जज महोदय दौसा के यहॉ पस्तुत कर रखा है जिसमें श्रीमान् स्वयं भी पार्टी हैं तथा दावे में रिकार्ड एवं मौके की

यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ है । दावे के चलते रहने एवं स्टे के दौरान नामांतरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती । अतः दावे के निर्णय तक अपील को स्थगित फरमावे एवं इन्टरिम आदेश की अपील चलने योग्य न होने के कारण खारिज फरमाने की कृपा करें । अधीनस्थ न्यायालय ने अशोक कुमार के उक्त प्रार्थना पत्र आपत्ति पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश दिनांक 21.5..12 पारित किया कि "विवादग्रस्त आराजी से संबंधित माननीय सिविल न्यायालय द्वारा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है । ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को स्टे किया जाना उचित समझे हैं । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मान. सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण तक अपील स्टे की जाती है । पत्रावली बइन्तजार मान. सिविल न्यायालय के आदेश हेतु दिनांक 8.6.2012 को पेश हो"। अति. जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 21.5.2012 के खिलाफ अपीलान्ट घनश्याम पुत्र बंशीधर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.5.12 एवं तहसीलदार सिकराय के आदेश दिनांक 2.2.2011 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता एवं रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 अनन्तराम की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार रेवडराम था जिसके लॉऔलाद फौत होने पर उसके भाई के पुत्र अनन्तराम, घनश्याम एवं पुत्रियॉ चन्द्रकान्ता, यशोदा के नाम नामांतरकरण पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19.1.11 को भरा गया और तस्दीक हेतु ग्रम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ग्रम पंचायत ने उक्त प्रकरण को दिनांक 5.2.11 को ग्रम पंचायत की मीटिंग में प्रस्तुत किये जाने के आदेश पारित किये गये थे । उनका कहना था कि ग्रम पंचायत को 45 दिवस की अवधि में नामांतरकरण पर निर्णय करने का अधिकार है इसके पश्चात् तहसीलदार को है , लेकिन तहसीलदार ने दिनांक 2.2.11 को नामांतरकरण के संबंध में अग्रिम आदेश तक निर्णय नहीं किये जाने के आदेश पटवारी हल्का को दिये गये ,जो पूर्ण रूप से विधि के प्रावधानों व दिनांक 4.9.1982 की अधिसूचना के विपरीत है । उनका कहना था कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 2.2.2011 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट व अन्य पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस भी जारी नहीं किये । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा रेस्पोंडेन्ट के प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र पर जवाब प्रस्तुत किया था कि अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश नहीं है व नामांतरकरण की कार्यवाही ग्रम पंचायत के समक्ष विधिवत चल रही है और तहसीलदार ने आदेश दिनांक 2.2.2011 पारित कर नामांतरकरण पर रोक लगा दी । ऐसी स्थिति में तहसीलदार का आदेश अंतिम आदेश के समान है । तहसीलदार ने ग्रम पंचायत द्वारा की जा रही कार्यवाही को रोके जाने का आदेश दिया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है जिसकी अपील संधारण योग्य है । सिविल न्यायालय में वसियत दिनांक 12.2.2009 को चुनौती दी है जिसमें अपीलान्ट द्वारा वसियत को शून्य व प्रभावहीन घोषित करने की प्रार्थना की है । सिविल न्यायालय ने रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। नामांतरकरण संबंधी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई का अधिकार अति. जिला कलक्टर को है । जिला जज के समक्ष लम्बित दावे की विषयवस्तु अपील की विषय वस्तु से अलग है इसलिये इसके आधार पर अपील की कार्यवाही को नहीं रोका जा सकता । उनका कहना था कि तहसीलदार को वसियत के संबंध में जॉच करने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों व रिकार्ड को देखे बिना ही पारित कर सरसरी तौर पर अपील की कार्यवाही को स्थगित रखा गया है , जो स्पष्ट रूप से विधि के प्राकृतिक सिद्धान्तों व न्यायिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व तहसीलदार का आदेश दिनांक 2.2.11 निरस्त किया जावे । अपने कथनों के समर्थन में 1989 आर.आर.डी. 743, 1999 आर.आर.डी. 247, 2009 (1) आर.आर.टी. 500 2008 (1) आर.आर.टी. 131, 2009 (1) आर.आर.टी. 376, 2002 (2) आर.आर.टी. 872 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार रेवडराम ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 अशोक कुमार पुत्र अनन्त राम के नाम वसियत की थी

लेकिन रेवडराम की विरासत का नामांतरकरण संख्या 1760 पटवारी हल्का ने वसियत के आधार पर रेस्पोंडेन्ट के नाम नहीं भर कर बिना किसी आधार के बंशी के पुत्र पुत्रियों के नाम भर दिया जिसे रेस्पोंडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 2.2.11 पारित कर अग्रिम आदेश तक निर्णित नहीं करने पर रोक लगाई है । उनका कहना था कि वसियत को निरस्त कराने का दावा अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला जज दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है तथा उसमें दिनांक 30.4.2011 को विवादग्रस्त भूमि के लिये आज की मौके व रिकार्ड की स्थिति के लिये यथास्थिति बनाये रखने के लिये दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर विवादग्रस्त भूमि की स्थिति राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखी जाने का स्थगन आदेश पारित किया हुआ है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने रेस्पोंडेन्ट की प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुन कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.5.2012 पारित कर मान. सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण तक अपील स्टे की है , जो उचित एवं विधिक है । उनका कहना था कि सिविल न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही नामांतरकरण संबंधी अपील का निर्णय किया जाना न्यायिक एवं विधिसम्यक होगा । अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में मुख्यतः विवाद मृतक खातेदार रेवडराम के लॉऔलाद फौत होने से उसकी विरासत का है । पटवारी हल्का द्वारा मृतक रेवडराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक के भाई बंशीधर के पुत्र अनन्तराम, घनश्याम व पुत्रियॉ चन्द्रकान्ता, यशोदा के नाम भरा गया । मृतक खातेदार रेवडराम द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 अशोक कुमार पुत्र अनन्तराम के नाम की गई वसियत के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक कराना चाहता है , लेकिन रेस्पोंडेन्ट अशोक कुमार पुत्र अनन्त राम के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सिकराय द्वारा पटवारी हल्का गीजगढ को नामांतरकरण संख्या 2760 के संदर्भ में जॉच विचाराधीन से जब तक जॉच पूर्ण नहीं होती तब तक यानि की अग्रिम आदेशों तक उक्त नामांतरकरण का निस्तारण नहीं करने हेतु पत्र लिखा गया जिसके खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील विवादग्रस्त आराजी के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की स्थिति में माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण तक स्टे की गई है तथा पत्रावली बइन्तजार माननीय सिविल न्यायालय के आदेश हेतु दिनांक 8.6.2012 को पेश होने का आदेश पारित किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर दौसा दिनांक 21.5.2012 उचित एवं विधिसम्यक है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखे जाते हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर